Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(A Government of Rajasthan Enterprise)
Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001, Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur
Phone : 0294-2428763-67, 2428793, 2428794 Fax : 0294-2428770,2427175
e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com
CIN-U14109RJ1949SGC000505, GSTIN-08AAACR7857H1Z0

क्रमांक. आरएसएमएम / सीओ / एडीएम / आरजीएचएस / 2023– 382 दिनांक : 02.08.2023

कार्यालय आदेश

वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना नं. 5(5) एफडी / इन्शोरेन्स / 2020 दिनांक 09.04.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा जारी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) एवं इसके पश्चात् समय–समय पर जारी नियम / आदेश / परिपत्र के क्रम में एवं कार्यालय आदेश क्रमांक आरएसएमएम / सीओ / एडीएम / आरजीएचएस / 2023 / 371 दिनांक 31.07.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा कम्पनी के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिये आरजीएचएस लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त योजना के संबंध में सेवानिवृत कर्मचारियों के लिये निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते है:–

1. इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु सेवानिवृत कर्मचारी को निम्न प्रारूप में सूचना पूर्ण रूप से भरकर Email id rghs.rsmml@rajasthan.gov.in पर या लिखित में उक्त आदेश जारी होने की तिथि से 01 माह के भीतर आरएसएमएमएल के कॉर्पोरेट कार्यालय या अधीनस्थ कार्यालय / निकटतम कार्यालय के प्रशासन विभाग में भिजवानी होगी।

S. No.	SSO ID	NAME	RGHS Card No.	Unique ID	PPO	D.O.B.	D.O.J.	D.O.R	Designation	Basic pay	Service status (Pensioner)	E-MAIL ID	Mobile No.	Address correspondence

2. इसके पश्चात कम्पनी द्वारा Raj ERP Id आवंटित की जावेगी, जिसकी सूचना ई–मेल या मोबाईल के द्वारा संबंधित सेवानिवृत कर्मचारी को दी जायेगी।

3. Raj ERP Id प्राप्त होने के बाद आरजीएचएस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपने स्तर पर सम्पादित करके आरजीएचएस कार्ड एवं प्रीमियम राशि जमा करवा कर उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति आरएसएमएमएल के कॉर्पोरेट कार्यालय या अधीनस्थ कार्यालय / निकटतम कार्यालय के प्रशासन विभाग में जमा करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण प्रक्रिया एवं आरजीएचएस की विस्तृत जानकारी वेबसाइट https://rghs.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

4. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्र. एफ.1(258) आरजीएचएस / एसएबीलेटर / 22–23 / 3399 दिनांक 18.11.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) के प्रावधानुसार वर्तमान में निर्धारित प्रीमियम राशि 1,05,000 / – रू. डी.डी. / आरटीजीएस के द्वारा कम्पनी के निम्नलिखित बैंक खाते में जमा करवाये:–

बैंक का नाम :– ICICI Bank एकाउन्ट नं.:– 693351000304
आईएफएससी कोड :–ICIC0006933 ब्रांच का नाम :– Bapu Bazar, Udaipur (Raj.)

5. जिन सेवानिवृत कर्मचारियों की Raj ERP Id नहीं बनी हुई है, वे बिन्दु सं. 1 में दिए गए प्रारूप में इससे संबंधित कालम रिक्त रखते हुए सूचना प्रस्तुत करे, ताकि कार्यालय स्तर पर Raj ERP Id बनाने की कार्यवाही की जा सकें। तत्पश्चात बिन्दु सं. 3 के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित कर पुनः सम्पूर्ण सूचना बिन्दु सं. 1 में वर्णित प्रारूप में जमा करवाये, ताकि वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

6. जिन सेवानिवृत कर्मचारियों की एसएससो आईडी एवं राज ईआरपी आईडी पूर्व में बनी हुई है, वे बिन्दु संख्या 3 में दिये गये निर्देश अनुरूप कार्यवाही सम्पादित कर सम्पूर्ण सूचना बिन्दु सं. 1 में वर्णित प्रारूप में जमा करवाये, ताकि वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

7. यदि राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी की जाती है, तो योजना का लाभ लेने के लिये तद्नुसार प्रीमियम राशि एवं उसकी अन्तर राशि सेवानिवृत कर्मचारी को स्वयं जमा करवानी होगी। उपरोक्त निर्धारित प्रीमियम राशि एवं आरजीएचएस योजना के परिलाभ राज्य सरकार के आदेशानुसार मान्य रहेंगें।

यह आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(डॉ. तरू सुराणा)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001, Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur
Phone : 0294-2428763-67, 2428793, 2428794 Fax : 0294-2428770,2427175
e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com
CIN-U14109RJ1949SGC000505, GSTIN-08AAACR7057H1Z0

क्रमांक: आरएसएमएम / सीओ / एडीएम / आरजीएचएस / 2023– 382 दिनांक : 02.08.2023

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव अध्यक्ष महोदया, आरएसएमएमएल, जयपुर ।
2. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर ।
3. वित्तीय सलाहकार, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर
4. कार्यकारी निदेशक, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर ।
5. समूह महाप्रबन्धक, लाईमस्टोन,/प्रमुख एवं प्रभारी– रॉकफॉस्फेट/ जिप्सम/लिग्नाईट ।
6- समस्त विभागाध्यक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर ।
7- उप महाप्रबन्धक(आईटी), कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर
8. पंजीकृत कार्यालय, जयपुर
9. दिल्ली/कोलकत्ता कार्यालय।
10- समस्त सूचना पट्ट ।

02/8/2023

उप महाप्रबन्धक (प्रशासन)

Rajasthan State Mines & Minerals Limited
(A Government of Rajasthan Enterprise)
Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001, Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur
Phone : 0294-2428763-67, 2428793, 2428794 Fax : 0294-2428770,2427175
e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website www.rsmm.com
CIN-U14109RJ1949SGC000505, GSTIN-08AAACR7857H1Z0

क्रमांक. आरएसएमएम/सीओ/एडीएम/आरजीएचएस/2023-371 दिनांक 31.07.2023

कार्यालय आदेश

वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना नं 5(5) एफडी/इंशोरेन्स/2020 दिनांक 09.04.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा जारी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के क्रम में एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल की 416वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 मे लिये गये निर्णय अनुसार कम्पनी के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) को कम्पनी मे लागू करने का निर्णय लिया गया है।

कम्पनी की निदेशक मण्डल के निर्णय की पालना मे वर्तमान मे कम्पनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आरजीएचएस योजना लागू करने के आदेश पारित किये जाते है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(संदेश नायक)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव अध्यक्ष महोदया, आरएसएमएमएल, जयपुर।
2. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर
4. कार्यकारी निदेशक, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर।
5. समूह महाप्रबन्धक, लाईमस्टोन/प्रमुख एवं प्रभारी रॉकफॉस्फेट/जिप्सम/लिग्नाईट।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर।
7. उप महाप्रबन्धक(आईटी), कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर
8. पंजीकृत कार्यालय, जयपुर
9. दिल्ली/कोलकत्ता कार्यालय।
10. समस्त सूचना पट्ट।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Signature valid
Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation: Managing Director
Date: 2023.0[illegible] [illegible]:46:18 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref No. : 4352839

R/58

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (INSURANCE) DEPARTMENT

No. 5(5)FD/Insurance/2020 Jaipur, dated : 09.04.2021

NOTIFICATION

The Governor is pleased to introduce a Cashless Health Benefit Scheme hereinafter referred as Rajasthan Government Health Scheme **(RGHS)** to cover indoor medical treatment expenses, specified daycare procedures, outdoor treatment, investigations and medical attendance and treatment under Ayurveda, Homeopathy, Unani Chikitsa Paddhati and other treatment as specified or to be specified by State Government. The scheme will cover compulsorily the Ministers, All India Service Officers, MLAs & Ex-MLAs, Serving & Retired Judicial officers, Serving Government employees (whether covered under old or new pension scheme) and pensioners / family pensioners. Also, this scheme will be applicable for the employees and pensioners of Autonomous Bodies, Boards, Corporations etc. The contribution to the Scheme will be decided by the State Government in due course.

2. The RGHS will cover all the medical facilities as per conditions and procedures laid down under the respective rules / schemes of different categories viz. (i) The Rajasthan Ministers (Medical Attendance) Rules, 1961 (ii) Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008 (iii) All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954 (iv) The Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) Rules, 1964 (v) Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010 (vi) Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013 (vii) Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme, 2014 and (viii) Raj Mediclaim Policy.

3. New beneficiaries will be allowed for treatment up to Rs. 5.00 Lacs per year on family floater basis. The scheme shall cover additional expenses relating to hospitalization of beneficiary member above Rs. 5.00 Lacs per family per year in any of the Government/Private empanelled hospital, specifically for catastrophic illness.

9. Empanelment of Private Hospitals, Diagnostic Laboratories, Imaging Centres and E-pharma Stores : The hospitals / diagnostic centres, imaging centres who have NABH / NABL accreditation and hospitals who have empanelment under CGHS will apply directly under RGHS on RGHS website. The hospitals and the diagnostic laboratories / imaging centres who do not possess NABH / NABL accreditation and also hospitals who are not empanelled under CGHS may apply on RGHS website i.e. www.rghs.gov.in as per the norms and criteria fixed by RGHS. The hospital/labs who have already empanelled by HBEC have to apply again online on RGHS website. The procedure and terms and conditions for e-pharma stores will be decided in due course.

10. State Insurance and Provident Fund Department (SIPF) will be nodal department and Finance (Insurance) Department will be Administrative Department for the Rajasthan Government Health Scheme.

11. The necessary amendments in concerned rules / schemes enlisted in para 2 will be issued in due course.

12. The Finance (Insurance) Department, shall issue detailed operational guidelines alongwith various annexures, circulars, clarifications, etc. for implementation of the RGHS.

13. If any difficulty arises in the course of implementation of this Scheme, the concerned hospital / stake holder shall refer the matter to Director, State Insurance and Provident Fund Department and if the matter is not resolved at the level of Director, SIPF, then the decision of Finance (Insurance) Department shall be final. Appellate Authority shall be ACS / Principal Secretary, Finance.

By order of the Governor,

(Akhil Arora)
Principal Secretary, Finance

P.T.O

राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, (आरजीएचएस)

वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर

फोन:–2740219, 2740252, 2740292(फैक्स)

email: add.dir.rghs@rajasthan.gov.in

website: www.rghs.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–F.1(258)RGHS/SAB LETTERS/22-23/ 3399 दिनांकः– 18.11.2022

प्रबंध निदेशक

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड,

4, मीरा मार्ग, मधुबन, उदयपुर।

ED DGM Admn

विषयः–राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आर.एस.एम.एम.एल. के सेवानिवृत्त कार्मिकों को आरजीएचएस सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में।

संदर्भः– आर.एस.एम.एम.एल. के सेवानिवृत्त कार्मिकों का पत्र दिनांक 16.11.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वित्त (बीमा) विभाग के पत्रांक प. 5(5)वित्त/बीमा/2020 पार्ट–2 दिनांक 20.06.2022 के अनुसार राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में स्वायत्तशासी संस्थाओं के लाभार्थियों का कैशलेस आईपीडी/ओपीडी/डे–केयर की सुविधा बाबत् वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अंशदान निम्नानुसार 2 पैकेज एवं इनमें से एक का चयन करने की सुविधा देय है–

क्र.स.	लाभार्थी	पैकेज–1		पैकेज–2	
		अंशदान	देय लाभ	अंशदान	देय लाभ
1.	स्वायत्तशासी संस्थान कार्मिक (सेवारत)	6710/–	10 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार चिकित्सा आईपीडी तथा 20 हजार ओपीडी	10500/–	10 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार आईपीडी तथा 20 हजार तक ओपीडी तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों में यथा आवश्यकता ओपीडी की सीमा मे वृद्धि का प्रावधान
2.	स्वायत्तशासी संस्थान कार्मिक (पेंशनर्स)	67100/–	10 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार चिकित्सा आईपीडी तथा 20 हजार ओपीडी	105000/–	10 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार आईपीडी तथा 20 हजार तक ओपीडी तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों में यथा आवश्यकता ओपीडी की सीमा मे वृद्धि का प्रावधान

अतः वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु उक्तानुसार केवल एक पैकेज का चयन कर अंशदान ई–ग्रास के माध्यम से जमा करवाकर चालान की प्रति मय कार्मिक सूची निम्नांकित प्रारूप में इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।

S.N.	SSO ID*	NAME*	RGHS CARD NO.*	UNIQUE ID	PPO	D.O.B.*	D.O.J.*	D.O.R.*	DESIGNATION	BASIC PAY*	SERVICE STATUS (SERVING/PENSIONER)*	MOB.*

(शिप्रा विक्रम)

परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)

वित्त भवन, जयपुर।